



Neutral Citation No.- 2026:AHC:127551

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 23907 वर्ष 2026

अशोक कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिव सागर सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: मु.स्था.अधि.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सागर सिंह तथा राज्य-प्रतिवादीगण के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका दिनांक 02.06.2026 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है जिसके द्वारा स्टाम्प अपील संख्या 1390/2026; *अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल स्थगन आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त स्टाम्प अपील प्रस्तुत की तथा स्थगन प्रदान किए जाने हेतु सांविधिक आवश्यकता की ओर 9,33,440/- रुपये की राशि जमा की। यह प्रस्तुत किया गया है कि, याचिकाकर्ता की गणना के अनुसार, जमा की गई राशि विवादित राशि के एक-तिहाई का प्रतिनिधित्व करती है जैसा कि विधि के अधीन आवश्यक है। तथापि, स्टाम्प विभाग ने आवश्यक एक-तिहाई राशि 13,19,251.20 रुपये के रूप में गणना की।
4. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि, विभाग के अनुसार, जमा की गई राशि अपर्याप्त थी, तो याचिकाकर्ता को कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आज भी याचिकाकर्ता 13,19,251.20 रुपये के जमा को पूरा करने हेतु कमी की राशि जमा करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है। तथापि, चूंकि स्थगन आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, याचिकाकर्ता स्थगन के लाभ का उपयोग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



करने में असमर्थ है। विद्वान अधिवक्ता एक स्पष्ट कथन देते हैं कि यदि इस न्यायालय द्वारा उचित निर्देश जारी किया जाता है, तो संपूर्ण कमी की राशि दो सप्ताह की अवधि के भीतर जमा कर दी जाएगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपील दाखिल करते समय याचिकाकर्ता पर आवश्यक एक-तिहाई राशि जमा करना अनिवार्य था तथा कमी को देखते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने सही ढंग से स्थगन आवेदन अस्वीकृत किया है। तथापि, वे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता कमी की राशि जमा करने के लिए तैयार है, तो यह न्यायालय एक उचित आदेश पारित कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य के राजस्व को कोई हानि न हो।
6. मैंने प्रतिस्पर्धी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।
7. दिनांक 02.06.2026 का आदेश यह दर्शाता है कि विवादित दायित्व के एक-तिहाई के रूप में जमा की जाने वाली आवश्यक राशि 13,19,251.20 रुपये थी, जबकि याचिकाकर्ता ने केवल 9,33,440/- रुपये जमा किए थे। इस प्रकार, 3,85,811.20 रुपये की कमी है।
8. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक स्पष्ट कथन दिया है कि वह दो सप्ताह की अवधि के भीतर उपर्युक्त कमी की राशि जमा करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है। इस दृष्टिगत, तथा न्याय के हित में, यह न्यायालय इस राय का है कि याचिकाकर्ता को कमी की राशि जमा करने हेतु एक अवसर दिया जाना उचित है।
9. तदनुसार, याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश के स्थगन हेतु एक नए आवेदन के साथ 3,85,811.20 रुपये की कमी की राशि जमा करने की अनुमति दी जाती है। यदि उपर्युक्त राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी जमा के साथ दाखिल याचिकाकर्ता के स्थगन आवेदन पर, विधि के अनुसार सख्ती से, नए सिरे से विचार करेगा।
10. तथापि, यदि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा दी गई समय अवधि के भीतर उपर्युक्त कमी की राशि जमा करने में असफल रहता है, तो दिनांक 02.06.2026 का आदेश प्रभावी बना रहेगा तथा कोई और छूट नहीं दी जाएगी।
11. आज से दो सप्ताह की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तथापि, यदि याचिकाकर्ता उपर्युक्त अवधि के भीतर कमी की राशि जमा



करने में असफल रहता है, तो अधिकारियों को विधि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका *निस्तारित* की जाती है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह)

16 जून, 2026

सुषमा

Translated Version. Not for Legal Use.